संख्या-331/2018/68/22-2-2018-17(13)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 18 अप्रैल, 2018***

विषय:- जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी विपिन सिंह पुत्र श्री विष्णु दयाल सिंह, निवासी जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-814/पर-7/सीमित सजा(एम-21.12.2017) दिनांक 08.01.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी विपिन सिंह पुत्र श्री विष्णु दयाल सिंह, जो-75/196 रंजीतपुरवा, थाना-बादशाहीनाका, जनपद- कानपुर नगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दहेज में 02 लाख रूपये की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने दिनांक 01-02-2012 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी नीलम की गला दबाकर हत्या कर जघन्य अपराध किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-371/2012 में भा0द0वि0 की धारा- 498ए, 304बी, 201 व 3/4 डी0पी0एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, एस0सी0एस0टी0एक्ट, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 09.11.15 द्वारा 07 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.05.2016 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.10.2017 तक 05 वर्ष 08 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष 02 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा किये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विपिन सिंह पुत्र विष्णु दयाल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति **नहीं की** गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी विपिन सिंह (बन्दी संख्या-931/15) पुत्र श्री विष्णु दयाल सिंह निवासी जनपद-कानपुर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-331/2018/68(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-331/2018/68/22-2-2018-17(13)/2018

दिनांक 18 अप्रैल, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी विपिन सिंह पुत्र श्री विष्णु दयाल सिंह, जो-75/196 रंजीतपुरवा, थाना-बादशाहीनाका, जनपद- कानपुर नगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दहेज में 02 लाख रूपये की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने दिनांक 01-02-2012 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी नीलम की गला दबाकर हत्या कर जघन्य अपराध किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-371/2012 में भा0द0वि0 की धारा- 498ए, 304बी, 201 व 3/4 डी0पी0एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, एस0सी0एस0टी0एक्ट, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 09.11.15 द्वारा 07 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.05.2016 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.10.2017 तक 05 वर्ष 08 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष 02 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा किये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विपिन सिंह पुत्र विष्णु दयाल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति **नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in